संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
म.प्र.

क्रमांक / अ.प्र. / 2014 / 1807 भोपाल, दिनांक 14/10/2014

प्रति,

1.समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
2.समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
मध्य प्रदेश।

विषयः–जिला चिकित्सालय एवं जिले की स्वास्थ्य संस्थाओं के भवन व परिसर में रखे हुये पुराने निष्क्रिय एवं कण्डेम्न करने योग्य सामान/उपकरणों/वाहनों को ठीक कराने अथवा नियमानुसार कंण्डेम्न करा कर उसका निष्पादन के संबंध में।

संदर्भः–संचालनालय का पत्र क्रमांक / अ.प्र. / 2014 / 1790 भोपाल, दिनांक 07 / 10 / 2014

संदर्भित पत्र द्वारा आपको प्रदेश के समस्त चिकित्सालयों एवं स्वास्थ्य संस्थाओं में उच्च गुणवत्ता की साफ–सफाई बनाये रखने के निर्देश आपको दिये गये हैं। साथ ही यह निर्देश भी दिये गये हैं कि चिकित्सालय/ चिकित्सा संस्थाओं के अंदर व परिसर में चिकित्सालय भवन एवं परिसर में पड़े हुये पुराने निष्क्रिय एवं कण्डेम्न करने योग्य सामान/उपकरणों /वाहनों को नियमानुसार कंण्डेम्न करा कर उसका निष्पादन करेंगें।

विभिन्न जिलों में संचालनालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने के दौरान यह देखा गया है कि अभी भी कई चिकित्सालयों एवं चिकित्सा संस्थाओं में पुराने अक्रियाशील वाहन खड़े हैं और पुराना फर्नीचर, उपकरण व अन्य सामग्री रखी है, यह दर्शाता है कि कायाकल्प अभियान के दौरान चिकित्सा संस्थाओं में रखे पुराने अक्रियाशील वाहन, उपकरण व अन्य सामग्री को नियमानुसार कंण्डेम्न करा कर उसका निष्पादन करने की कार्यवाही संबंधित चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थाओं के प्रभारियों द्वारा नहीं की गई है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि आपकी स्थापना के समस्त चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थाओं के भवनों /परिसर में रखे पुराने अक्रियाशील वाहन/उपकरण, फर्नीचर व अन्य सामग्री को नियमानुसार कंण्डेम्न करा कर उसका निष्पादन एक विशेष अभियान चला कर यह सुनिश्चित करें कि एक माह के अंदर प्रदेश के सभी चिकित्सालयों एवं चिकित्सा संस्थाओं में रखे हुये समस्त पुराने अक्रियाशील उपकरण, फर्नीचर, वाहन आदि जो ठीक हो सकते हैं को ठीक करा कर क्रियाशील कर लिया जाये तथा जो वाहन/उपकरण, फर्नीचर व अन्य सामग्री ठीक नहीं हो सकते हैं को नियमानुसार कंडेम्न करा कर उनका निष्पादन करें तथा पालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करें। **इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।**

आपको चेतावनी दी जाती है कि उपरोक्त समय सीमा में यदि उपरोक्त कार्य नहीं किया जाता है तथा समय सीमा के पश्चात चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थाओं में अक्रियाशील उपकरण, फर्नीचर, वाहन अथवा अन्य सामग्री रखी पाई जाती है तो आपके एवं चिकित्सालय प्रभारी के विरूद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

संचालक स्वास्थ्य सेवायें
(अस्प.प्रशा.)
म.प्र,भोपाल

पृ.क्रमांक / अ.प्र. / 2014 / 1808 भोपाल, दिनांक 14/10/2014

प्रतिलिपिः— सूचनार्थ

1) प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल, म.प्र.।
2) आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र, भोपाल।
3) मिशन संचालक, एन.आर.एच.एम, बैंक ऑफ इंडिया भवन, तृतीय मंजिल, अरेरा हिल्स, भोपाल।
4) समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
5) समस्त कलेक्टर, मध्य प्रदेश।
6) सूचना सहायक, स्थानीय कार्यालय की ओर वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

संचालक स्वास्थ्य सेवायें
(अस्प.प्रशा.)
म.प्र,भोपाल